न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—192 / 2021 / 225आर.टी.एक्ट (2021 / 192)

1. विजयसिंह उर्फ बज्जा पुत्र पेमा
2. भंवर पुत्र हालू
3. हीरी पत्नी भीया
4. चेना पुत्र भीया
5. मोहन पुत्र भीया
6. सोहन पुत्र भीया
7. सोरती पुत्री भीया
8. नोरती पुत्री भीया
9. नानी पुत्री भीया
10. पांची पुत्री भीया
11. हंजा पत्नी रामसिंह
12. कानसिंह पुत्र रामसिंह
13. नौसर पुत्री रामसिंह
14. लाल सिंह पुत्र भंवरा
15. मदन पुत्र विजयसिंह
16. जयसिंह पुत्र विजयसिंह
17. सेजन पुत्री विजयसिंह
18. गुलाबी पुत्री विजयसिंह
19. सुखा पुत्री विजयसिंह

समस्त जाति रावत, निवासी मोतीसर सुरजकुण्ड, तहसील पीसांगन जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीसांगन जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 16.07.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन, राजस्व प्रार्थना पत्र सं० 54 / 2021,

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

उपस्थितः—

1. श्री जी.एस लखावत, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री हरि सिंह गुर्जर, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 2

निर्णय

दिनांकः—23.08.2022

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 54/2021 में पारित आदेश दिनांक 16.07.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद उपखण्ड अधिकारी ,पीसांगन के न्यायालय में खातेदारी इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम सुरजकुण्ड के फसली सन 1315 के खसरा संख्या 534 रकबा 08—16—10 बीघा खसरा संख्या 536 रकबा 09—15—10 बीघा जिसके चौसाला खसरा संख्या 642 रकबा 8—12—00 बीघा व खसरा संख्या 625 रकबा 114—12—10 बीघा है जिसमें से खसरा संख्या 534 रकबा 7 बीघा एवं खसरा संख्या 625 रकबा 10 बीघा सन फसली 1315 के समय से ही प्रार्थीगण के पूर्वज रूपा पुत्र जवाना तत्पश्चात पेमा पुत्र रूपा के आधिपत्य में चली आ रही है, जो आज दिवस तक निरन्तर प्रार्थीगण के आधिपत्य में है प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार है जिनका कब्जा निर्बाध रूप से आज दिवस तक चला आ रहा है, सन फसली 1351 लगायत 1356 की खसरा गिरदावरी में फसली खसरा संख्या 534 एवं 536 प्राथीगण के पूर्वज रूपा वल्द जवाना व पेमा वल्द रूपा के नाम है जिसमें कदीम काल से निरन्तर मोठ की फसल काश्त है तथा उक्त भूमि चौसाला से वर्किंग के समय ग्राम सुरजकुण्ड की सीमा में थी तथा वर्किंग से आधारभूत के समय उपरोक्त आराजी ग्राम मोतीसर की सीमा में शामिल कर दी गई, जिससे प्रार्थीगण के पूर्वजों के आधिपत्य की उक्त आराजी प्रार्थीगण के नाम दर्ज नहीं हो सकी। सन 2014 में अवैधानिक रूप से उक्त वादग्रस्त भूमि को अप्राथी सं. 1 अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज कर दिया गया उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्राथीगण सन 1994 से 2012 तक निरन्तर अप्रार्थी सं. 2 तहसीलदार पीसांगन द्वारा धारा 91 एल.आर.एक्ट के नोटिस प्राथीगण को दिये गए थे आधार बनाते समय उक्त आराजी प्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज नहीं की गई थी, प्रार्थीगण राजस्व नियमों से अनभिज्ञ रहे हैं अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया तथा प्रार्थना पत्र के कथनों से इंकार किया, तत्पश्चात विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र का निस्तारण अपने आदेश दिनांक 16.7.2021 के द्वारा करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज फरमा दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के आदेश दिनांक 16.7.2021 से असंतुष्ट एंव व्यथित होकर अपीलार्थीगण माननीय न्यायालय के समक्ष यह अपील की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि विवादित भूमि सन् फसली 1315 की जमाबंदी में हीरा पुत्र चतरा के नाम खसरा नम्बर 513 रकबा 21—14—00 वीधा वर्णित रही तथा चतरा का पुत्र हीरा ना औलाद फौत हो गया इस कारण इस भूमि पर चतरा के अन्य पुत्रो, रूपा, लूम्बा, डूंगा का अधिकार रहा, सन् 1315 फसली मे वर्णित

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील अधिकारी अजमेर

खसरा नम्बर 513 की भूमि का 14 बीघा रकबा खसरा मिलान जो सन् फसली 1349 बनाने पर बनाया गया गया था उसमें खसरा नम्बर 625 में शामिल किया गया तथा खसरा मिलान में शामिल खसरा नम्बर 503 लिखा है जिसका तात्पर्य है कि खसरा नम्बर 503 जिस खसरा में शामिल हुआ है उसी खसरा में खसरा संख्या 513 का 14 बीघा रकबा शामिल हुआ है तथा खसरा नम्बर 625 एक बड़ा रकबा है जिसमें कई अन्य नम्बर शामिल किए गए है तथा यह भूमि शामलात देह दर्ज कर दी गई तथा सन् फसली 1349 के उपरान्त वर्तिग जमाबंदी बनाते समय खसरा नम्बर 625 की वह भूमि जो अपीलार्थीगण/वादीगण के बुजुर्गों के जमाने से भौतिक धारण की भूमि थी, उसका नया नम्बर 916/1446 बनाया गया तथा वर्तमान नये अभिलेख में हैबटयर प्रणाली लागू करते हुए नया अभिलेख बनाया गया उसमें खसरा नम्बर 916/1446 का नया खसरा नम्बर 561 रकबा 0.25 है0, 564 रकबा 0.80 है0 कुल रकबा 1.05 है0 भूमि जिस पर वादीगण का भौतिक धारण चला आ रहा है तथा इस बाबत् खसरा गिरदावरी तथा खसरा परिवर्तनशील में अपीलार्थीगण का भौतिक धारण लगातार चला आ रहा है। वर्तमान वाद अधिकारों की घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का वाद है ऐसे वाद मे जब अभिलेख में अपीलार्थीगण के नाम अंकित नही है जिसे दर्ज करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया है ऐसी स्थिति में कब्जे बाबत् वर्तमान अभिलेख प्रस्तुत करना ही संभव नही है अपितु इससे पूर्व लगातार जब भूमि राजस्व विभाग में दर्ज थी तो धारा 91 एल.आर. की कार्यवाही अपीलार्थीगण के विरूद्ध की जाती रही थी तथा इससे पूर्व खसरा गिरदावरी में इस भूमि में काश्त दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्वविवेचित आदेश नही है तथा भूमि वर्तमान में अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज होने मात्र से गलत पहुँच रखते हुए प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया है, जो विधि के स्थापित सिद्धान्तो के प्रतिकूल है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.07.2021 को निरस्त करते हुए अपीलार्थीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर ताफैसला वाद अभिलेख एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि विवादित आराजी अजमेर विकास प्राधिकार, अजमेर के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है तथा कभी अपीलांट/प्रार्थी उक्त भूमि पर केवल अतिक्रमी की हैसियत से रहा हो तो इसका वर्तमान में कोई हक–अधिकार नही बनता है, अपीलांट/प्राथी को अतिक्रमी होने के कारण विवादित आराजी से बेदखल किया गया है तथा सन् 20134 से वादग्रस्त आराजी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के नाम राजस्व रेकार्ड में है तथा उनका ही कब्जा है। उक्त आराजी पर विद्युत ग्रिड स्टेशन प्रस्तावित हो चुका है। कब्जे के अभाव में तथा रिकार्डेड खातेदार का जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस खारिज फरमायी जावें।

6. विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने दौराने जवाब बहस में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के कथनो को दौराते हुए कथन किया कि अपीलांट विवादित आराजी बाबत् किसी प्रकार अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार नही रखता है इसलिए अपील अपीलांटस खारिज फरमायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

7. विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि सम्वत 2053, 2054, 3054 रबी, सम्वत 2055, सम्वत 2058, 2059, 2061 व 2068 तक केवल 07 वर्षो के लिए 91 एल.आर. दर्ज करना प्रतिकूल आधिपत्य का आधार नही बन सकता। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि यह कब्जा भी अपीलांट का लगातार नही रहा है। उक्त भूमि जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश से अजमेर विकास प्राधिकरण , अजमेर को हस्तातंरित हो चुकी है, आंवटन आदेश को कोई चुनौती दी गई ऐसा साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नही है। अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को भूमि हस्तातंरण के उपरांत अपीलांट का कोई कब्जा भूमि पर रहा हो तो ऐसा कोई साक्ष्य न तो विचारण न्यायालय मे तथा ना ही अपीलीय न्यायालय में अपीलांट पक्ष की तरफ से प्रस्तुत किया गया है तथा उक्त आराजी पर विद्युत ग्रिड स्टेशन प्रस्तावित है इस प्रकार अस्पष्ट तथ्यों के आधार पर किये गये दावों/अपीलों के माध्यम से राज्य सरकार के कार्य नहीं रोके जा सकते है एवं बिना कब्जे के प्रतिकूल आधिपत्य का दावा प्रथम दृष्टया नहीं बनता है। अतः विचारण न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज करने का उचित निर्णय किया है।

8. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के द्वारा प्रकरण संख्या 54//021 में पारित आदेश दिनांक 16.07.2021 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 23.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर